widely used in agricultural research and development. Technology of food preservation using gamma radiation has been well developed in India for a variety of food items.

Labelled compounds of carbon-14 and tritium and biomolecules labelled with phosphorus-32 are extensively used for research in biosciences and biotechnology.

(b) The Department of Atomic Energy supports projects, fellowships and symposia through the Board of Research in Nuclear Sciences. Training is offered on the use of radioisotopes in medicine, agriculture and industry at the Bhabha Atomic Research Centre (BARC) The Board of Radiation and Isotope Technology supplies various radioisotopes and radiation sources. BARC undertakes irradiation of seeds and other materials for mutation breeding programme for agricultural universities which seek help.

(c) India's capabilities in the field of atomic energy and its applications compare very well with those of the developed countries.

Leasing out land to charitable institutions in Delhi Cantonment

8141. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the norms laid down under the Statutory Cantonment Land Administration Rules, 1937 to lease out certain surplus Defence Lands (Building Sites) in Delhi Cantonment which are not required for Defence and public purposes and are lying vacant and unutilised for decades to charitable institutions serving lower strata of the society for charitable hospital and medical research;

(b) whether Government will consider the request of the charitable institutions sympathetically and favourably and if so, what are the deatils thereof; and

(c) the name of the competent authority to be approached for such Land Lease?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c) There are no specific provisions in the Cantonment Land Administration Rules, 1937 for lease of defence land to Charitable Institutions. Under Rule 26 of the Cantonment Land Administration Rules, in exceptional cases the Government may approve leases on such terms as it thinks fit on the merits of each case. Keeping the future Defence requirements in view, the policy of the Government has been that requests from Religious/ Charitable institutions will not ordinarily be considered. There is no surplus land in Delhi Cantonment.

सशस्त्र बलों के अधिकारियों की शिकायतें

8142. श्री ईश दत्त यादव :
श्री आस मोहम्मद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र बलों के कई वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों की सुनवाई के लिए न्यायालय का सहारा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) स्वयं विभाग द्वारा उनकी शिकायतों के निवारण की दिशा में सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ताकि उनका मनोबल ऊंचा बना रहे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सशस्त्र सेना कार्मिकों की वैयक्तिक शिकायतें दूर किए जाने के लिए सेना अधिनियम, और वायुसेना अधिनियम और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों पर्याप्त तंत्र व प्रक्रियायें निर्धारित की गई है। तथापि, उन्हें उपलब्ध कराए गए

प्रशासनिक तंत्र एवं शिकायतें दूर करने की प्रक्रियाओं के सभी माध्यमों का उपयोग करने के बाद कुछ सशस्त्र सेना कार्मिक अपने वेतन और सेवाओं तथा उनसे संबंधित मामलों के विषय में अपनी शिकायतें दूर करवाने के लिए न्यायालयों में जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों में सशस्त्र सेना कार्मिकों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिकाओं की संख्या इस प्रकार हैं :—

वर्ष	याचिकाओं की संख्या
1992	714
1993	757
1994	1087

यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि सशस्त्र सेना कार्मिकों की जायज शिकायतों का उचित रूप में शीघ्र निवारण कर दिया जाए और वैयक्तिक मामलों में गुणावगुण के आधार पर पूर्ण या आंशिक राहत दे दी जाए। कुछ सैन्य कार्मिकों द्वारा न्यायालयों से न्याय प्राप्त करने से तीनों सेनाओं के अफसरों और जवानों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

तस्करी करने के लिए संयुक्त गश्त

8143. श्री संघ प्रिय गौतम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के पश्चिमी तट से हथियारों, नशीले पदार्थों और तस्करी के सामानों का प्रवश रोकने के लिए संयुक्त गश्ती दलों में किन-किन सशस्त्र बलों को शामिल किया गया है ;

(ख) संयुक्त गश्त का मुख्य उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या भारतीय मछुआरों को तंग किये जाने की कोई सूचना मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गुजरात के पश्चिमी समुद्र तट से देश में अस्त्रों, नशीले पदार्थों तथा तस्करी के सामान को लाने से रोकने के लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक, सीमा शुल्क विभाग व राज्य पुलिस के साथ तालमेल करके पश्चिमी तट पर संयुक्त रूप से गश्त लगा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

कश्मीर में तैनात किये गये सैनिकों द्वारा व्यक्त असंतोष

8144. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर में तैनात किये गये सैनिकों और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा उनके कार्यकलापों में हस्तक्षेप किये जाने के संबंध में हाल ही में असंतोष व्यक्त किया गया है और उनका यह कहना है कि उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने दिया जाता है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस असंतोष को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जम्मू और कश्मीर में तैनाती के दौरान सैन्य तथा अर्धसैनिक बलों ने अपने दायित्वों के बारे में असंतोष व्यक्त किया है। उनको सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में किसी प्रकार की दखलंदाजी की भी सूचना नहीं मिली है।